संख्या-2/2016/228/18-4-2016-11(एसाइड)/15

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0,
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी,2016

विषय: यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट नोयडा प्रबंधन एवं संचालन समिति, शासी निकाय एवं प्रदर्शनकक्ष आवंटन समिति तथा आवंटन के नियम एवं शर्तो का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट नोयडा/2819, दिनांक 22;12;2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त नियमावली पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3- अत: नियमावली की अनुमोदित प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-228(1)/18-4-2016-तद् दिनांक 03-2-2016

उपर्युक्त की प्रति आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट नोयडा प्रबंधन एवं संचालन समिति, शासी निकाय एवं प्रदर्शन कक्ष आवंटन समिति तथा आवंटन के नियम एवं शर्तें:-

यू0 पी0 क्राफ्ट मार्ट नोएडा प्रबन्धन एवं संचालन समिति

1.हैण्डीक्राफ्ट का उत्पादक-निर्यातक	अध्यक्ष
2.उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र गौतमबुद्धनगर	सदस्य/सचिव
3.प्रभारी, गंगोत्री प्रदर्शन कक्ष, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव
4.उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम का प्रभारी वित्त एवं लेखा	सदस्य
5.नोएडा प्राधिकरण का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6.ईपीसीएच का नामित प्रतिनिधि	
7.संयुक्त निर्यात आयुक्त,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो	सदस्य
8.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यू0पी0 ट्रेड प्रमोशन अथारिटी कानपुर	सदस्य
9.क्षेत्रीय उप निदेशक विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय लखनऊ	सदस्य
10.आई0टी0पी0ओ0 का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11.आई0आई0ए0 का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
12.ईपीसीएच द्वारा नामित एक निर्यातक	सदस्य
14.निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 द्वारा नामित एक निर्यातक	सदस्य
15.उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम द्वारा नामित हैण्डीक्राफ्ट का एक नेशनल एवार्डी	सदस्य

यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट, नोएडा, शासी निकाय

1.प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0,	अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर का एडीएम स्तर का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.अपर/सँयुक्त आयुक्त, उद्योग मेरठ मण्डल,मेरठ	सदस्य
4.ईपीसीएच,नई दिल्ली का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5.विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0पी0टी0पी0ए0,कानपुर	सदस्य
7 उपायुक्त, उद्योग, नोएडा गौतमबुद्ध नगर	सदस्य सचिव
8. प्रबन्धक, गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष, नई दिल्ली	सदस्य/ सँयुक्त सचिव

यू0 पी0 क्राफ्ट मार्ट नोएडा-प्रदर्शनकक्ष एवं फूडकोर्ट की आवंटन समिति

1.प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0	अध्यक्ष
2.संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.उप निदेशक कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, लखनऊ — सदस्य

4.ईपीसीएच का नामित प्रतिनिधि — सदस्य

5.पर्यटन विभाग,उ0 प्र0 का प्रतिनिधि — सदस्य

6.संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 का प्रतिनिधि — सदस्य

7.अधिशासी (वा0),उ0 प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ — सदस्य

8.उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्धनगर — सदस्य/सचिव

9.प्रभारी,गंगोत्री प्रदर्शन कक्ष, नई दिल्ली — सदस्य/सँयुक्त सचिव

(अ) यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट,नोएडा में स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन की अर्हतायें:-

(i)स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवेदकों को उ0प्र0 का प्रमाणिक हैण्डीक्राफ्ट उत्पादक /निर्यातक होना अनिवार्य है।

(ii)स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवेदकों को हैण्डीक्राफ्ट उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्था के रूप में न्यूनतम विगत तीन वर्ष से पंजीकृत एवं कार्यशील होना अनिवार्य है।

(iii)आवेदक संस्था का पैनकार्ड, वैट पंजीकरण एवं निर्यातक की दशा में आयातक/ निर्यातक कोड होना अनिवार्य है।

(iv)आवेदक संस्था के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत अथवा गतिमान नहीं होना चाहिये अथवा आवेदक संस्था को देश के किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो।

(ब) स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन की प्रक्रियाः-

(i) क्राफ्ट मार्ट में प्रदेश के प्रमुख क्राफ्ट जैसे, जेम्स/ज्वैलरी/सिरामिक वर्क, ब्रास हैण्डीक्राफ्ट,जरी/एप्लीक वर्क एवं केन उत्पाद, चिकन/जरी जरदोजी, मार्बल जरी, ग्लास हैण्डीक्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट/ब्रास स्टेचू/ग्लास बीडस्, सिल्क साड़ी, वूलेन कार्पेट/वूलेन दरी, वुड कार्विंग, टेराकोटा/टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट, मूँज क्राफ्ट, शजर पत्थर, ब्लैक पाटरी, लेदर/परफ्यूम आदि के लिये निर्धारित प्रकिया के अनुसार स्टालों का आवंटन किया जायेगा।

(स). स्थायी प्रदर्शनकक्षों का उत्पाद-समूह-वार आवंटन:-

क्राफ्ट मार्ट में 20 स्थायी प्रदर्शनकक्षों का विभिन्न उत्पाद समूहवार निम्नानुसार आवंटन किया जाना प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	उत्पाद समूह	आवंटन हेतु उपलब्ध प्रदर्शनकक्षों की संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	जेम्स एण्ड ज्वैलरी, आर्टिफिशियल ज्वैलरी आदि	1
2	सेरेमिक वर्क/ टेराकोटा	2
3	ब्रास हैण्डीक्राफ्ट/ मेटल क्राफ्ट	2
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	1
5	जरी/एप्लीक वर्क	1
6	चिकन/जरी जरदोजी	2
7	काष्ठ हस्तशिल्प/केन फर्नीचर इत्यादि	2
8	मार्बल क्राफ्ट	1
9	ग्लास आर्टवेयर	1
10	सिल्क साड़ी (वाराणसी/मऊ)	2
	वूलेन कार्पेट/वूलेन दरी	2
	टेक्सटाइल	2
	परफ्यूम	1
	योग	20

(द)

(i) प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(ii) यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट नोएडा में स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटन के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(iii) क्राफ्ट मार्ट की आवंटन प्रणाली से सम्बन्धित विवरण उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0. की वेबसाईट www.upexport.in एवं यू.पी.टी.पी.ए. की वेबसाईट www.putpa.org.in पर उपलब्ध रहेगा। इस वेबसाईट पर आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आंमत्रण पत्र अपलोड करते हुए आवेदन पत्र आनलाईन अपलोड किये जा सकते है। आवेदक निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपने पूर्ण आवेदन पत्र ऑफलाइन भी (डाकद्वारा या व्यक्तिगत रूप से) उपलब्ध करा सकते हैं।

(iv)प्रदर्शनकक्षों के आवंटन हेतु आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जायेगा।

(v)स्थायी स्टालों के लिये प्राप्त आवेदनों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण करके अंक दिये जायेंगें।

(1) विगत तीन वर्ष का सेल्स वाल्यूम ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार

(3)हस्तशिल्प उत्पादों के व्यवसाय/निर्यात की अवधि ।

(4) महिला उद्यमी (पूर्ण स्वामित्व युक्त)।

(अ)	विगत 03 वर्ष के सेल्स/एक्सपोर्ट वाल्यूम (वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15)	20 अंक
(ब)	एवार्ड (राष्ट्रीय/राज्य)	15 अंक
(स)	व्यवसाय/निर्यात की अवधि	08 अंक
(द)	महिला उद्यमी (पूर्ण स्वामित्व युक्त)	07 अंक
	योग	50 अंक

(vi)श्रेष्ठता क्रम में आवेदक द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर आवेदकों को प्रदर्शनकक्षों का आवंटन किया जायेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के मध्य आबंटन समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से निर्णय किया जायेगा।

(vii)प्रदर्शनकक्षों के आवंटन में क्षेत्रवार एवं प्रमुख उत्पाद समूहवार संतुलन रखा जायेगा।

(viii) उपरोक्त आधार पर आवंटन समिति द्वारा आवेदन तिथि से न्यूनतम 30 दिन के अन्दर प्रदर्शनकक्षों का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) आवंटी को आवंटन तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर प्रदर्शनकक्ष कार्यशील करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(x) आवेदकों द्वारा निर्धारित लीज अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लीजरेन्ट, अनुरक्षण (Maintenance) चार्ज आदि के भुगतान किये जायेंगे।

(xi) स्टालों के आवंटन की आरम्भिक लीज अवधि कम से कम 10 वर्ष होगी, जिसे निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन 10 वर्ष की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। लीज अवधि को विस्तारित करने का अधिकार आबंटन समिति में निहित होगा।

(xii) आवंटियों द्वारा प्रदर्शनकक्षों को बिना पूर्व अनुमति के सब-लीज नहीं किया जा सकेगा।

(xiii) क्राफ्ट मार्ट में स्थायी प्रदर्शनकक्षों को सक्रिय प्रदर्शनकक्ष के रूप में संचालित करना अनिवार्य होगा एवं उ0प्र0 के हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सकेगा।

(xiv) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा सेक्टर-136, नोएडा में स्थित वाणिज्यिक दुकानों के लिये अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर क्राफ्ट मार्ट की स्थायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदर्शनकक्षों का लीज-रेण्ट निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर स्थायी प्रदर्शनकक्षों का लीज-रेण्ट रू0 750/- प्रतिवर्गमी0/प्रतिमाह होगा।

(xv) स्थायी प्रदर्शनकक्षों के लिए आबंटियों द्वारा निर्धारित लीज रेन्ट के अतिरिक्त एक वर्ष के लीज-रेण्ट के बराबर security deposit देय होगा, जो लीज अवधि की समाप्ति पर बिना किसी ब्याज के Refundable होगा।

(xvi) स्थायी प्रदर्शनकक्षों के लीजरेन्ट में तीन वर्ष के पश्चात् प्रत्येक वर्ष न्यूनतम् 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(xvii) स्थायी प्रदर्शनकक्षों के आवंटियों को लीज-रेण्ट, सिक्योरिटी डिपाजिट के अतिरिक्त आबंटन समिति द्वारा समय- समय पर निर्धारित मेण्टीनेन्स चार्ज भी देय होगा।

(xviii) स्थायी प्रदर्शनकक्षों की लीज अवधि में आबंटियों एवं यू0पी0 क्राफ्ट मार्ट प्रबन्धन एवं संचालन समिति के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

(य). अस्थायी स्टालों की आवंटन प्रक्रिया:-

(i) अस्थायी स्टालों को उ0प्र0 के ऐसे प्रमाणिक हस्तशिल्पी जो विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी आर्टिजन कार्ड धारक हों, को आवंटित किया जायेगा।

(ii) आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य होगा।

(iii) अस्थायी स्टालों के आवंटन में राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को वरीयता दी जायेगी।

(iv) अस्थायी स्टालों के आवंटन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(v) उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0. की वेबसाईट www.upexport.in एवं उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण (UPTPA) की वेबसाईट www.uptpa.org.in पर आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आमंत्रण पत्र अपलोड किया जा सकेगा। आवेदक निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपने पूर्ण आवेदन पत्र ऑफलाइन भी (डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से) उपलब्ध करा सकते हैं।

(vi) आवेदक इकाई को उक्त वेबसाईट के माध्यम से आनलाईन अथवा ऑफ लाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(vii) अस्थायी स्टालों के लिए क्राफ्टवार स्लाट तैयार किये जायेंगे एवं स्टालों के आबंटन में क्षेत्रवार संतुलन रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(viii) एक प्रकार के क्राफ्ट के एक से अधिक आवेदक होने की दशा में आवंटन समिति द्वारा ड्रा के आधार पर चयन किया जायेगा।

(ix)अस्थायी स्टालों में ऐसे आवेदकों को ही आवंटन किया जायेगा, जिन्होंने क्राफ्ट मार्ट में विगत 6 माह में प्रतिभाग नहीं किया हो।

(x) अस्थायी स्टालों के आवेदकों को आवंटन की सूचना दी जायेगी, जिसके आधार पर आवंटियों द्वारा निर्धारित शुल्क अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करना होगा।

(xi)अस्थायी स्टालों के अवंटियों द्वारा आबंटन समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित मेण्टीनेन्स (Maintenance) चार्ज आदि का भुगतान भी देय होगा।

(xii) अस्थायी स्टालों को प्रदेश के प्रतिनिधि क्राफ्ट के आर्टिजन कार्ड धारक शिल्पियों को 3 माह हेतु आवंटित किया जायेगा।

(xiii) अस्थायी स्टालों का आवंटन मेरिट पर पाक्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। मेरिट के आधार पर अस्थायी दुकानों की आबंटन अवधि आबंटन समिति द्वारा अधिकतम् 30 दिन तक विस्तारित की जा सकती है।

(xiv) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा सेक्टर-136, नोएडा में स्थित वाणिज्यिक दुकानों के लिये अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर क्राफ्ट मार्ट की अस्थायी स्टालों का किराया निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान अधिसूचित सर्किल रेट के आधार पर अस्थायी स्टालों का किराया रू0 750/- प्रतिवर्गमी0/प्रतिमाह होगा।

(xv) अस्थायी स्टालों के आवंटियों द्वारा भी तीन माह के किराये की 1/2 राशि अग्रिम के रूप में जमा करना होगा।

(xvi) प्रत्येक अस्थायी स्टाल के आवंटी द्वारा स्टाल के आवंटन के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 03 महीने का किराये के बराबर राशि एकमुश्त लिये जाने का प्रस्ताव है, जिसे आवंटन अवधि की समाप्ति पर समस्त देयों को काट कर बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।

(xvii) अस्थायी स्टालों के आवंटी,आवंटन तिथि के अंतिम दिवस की रात्रि तक अपना सामान हटाने के लिये उत्तरदायी होगे तथा कब्जा मार्ट प्रबन्धन को लिखित रूप में दे देंगे अन्यथा उनसे प्रतिदिन किराये की तीन गुना दण्ड राशि आरोपित की जायेगी।

8. फूड कोर्ट:-

फूड कोर्ट से प्राप्त होने वाले रेन्ट एवं मैन्टेनेन्स की धनराशि को संचालन समिति को दिया जायेगा। फूड कोर्ट के संचालन निविदा के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. फूड कोर्ट के संचालन हेतु संस्था/व्यक्ति का चुनाव निविदा के माध्यम से उनके द्वारा की गयी अधिकतम निविदा/बोली के आधार पर किया जायेगा।

2. फूड कोर्ट हेतु मेन्टीनेन्स चार्ज की दरों का निर्धारण अस्थायी एवं स्थायी प्रदर्शन कक्षों के आवंटियों का न्यूनतम 150 प्रतिशत होगा।

3. फूड कोर्ट के संचालन हेतु चयनित संस्था/व्यक्ति से सिक्योरिटी चार्ज के रूप में ली जाने वाली धनराशि स्थायी प्रदर्शन कक्ष के आवंटियों की भाँति 12 महीने के लीज रेन्ट के समतुल्य होगी। जिसे लीज रेन्ट की समाप्ति के बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।